



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi

Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

Email: [adl.com.admn@kvs.gov.in](mailto:adl.com.admn@kvs.gov.in), Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली /18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No. 32436

फा.11-Adm1029(14)/20/2025-Admn.I/2501-2521

दिनांक: 13.03.2026

### कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 03.10.2025 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) परिसर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (संसदीय क्षेत्र- गोरखपुर) अक्टूबर, 2025 में स्वीकृत 57 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र, 2026-27 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	शैक्षिक सत्र 2026-2027 से निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा .
1	केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) परिसर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।	केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) परिसर, पुराना एफ.सी.आई.एल. ईंटर कॉलेज भवन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड-273007.

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय से विशेष स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में बालवाटिका-I से III तथा कक्षा I से X तक (दो -सेक्शन) एवं कक्षा XI एवं XII में विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी प्रत्येक संकाय में दो-दो सेक्शन संचालित किए जाएंगे।

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, गोरखपुर, जो प्रायोजक संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए एच.यू.आर.एल. (पूर्व में एफ.सी.आई.एल.) परिसर के अस्थायी भवन में संचालित हो रहा था, का पुनः नामकरण अब केन्द्रीय विद्यालय संख्या 3, एच.यू.आर.एल. परिसर, गोरखपुर के रूप में किया जाएगा। जिसमें वर्तमान में संचालित सभी कक्षाएं उक्त अनुमोदन के अनुसार संचालित होती रहेंगी।

जारी..पृष्ठ..2.

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2, गोरखपुर (जिसका पुनः नामकरण केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3, एच.यू.आर.एल. परिसर, गोरखपुर के रूप में किया जाना है) के कक्षा I से V तक के उन विद्यार्थियों के अभिभावकों को, जो अपने बच्चों को एच.यू.आर.एल. परिसर से स्थानांतरित करना चाहते हैं, उन्हें उन्नौला दायम, गोरखपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 के नव-निर्मित स्थायी भवन में स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। शेष विद्यार्थियों को वर्तमान परिसर ( जो अब केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3 परिचालित होगा ) में दो सेक्शनों में समायोजित किया जाएगा।

**अतः वर्तमान स्थिति सत्र 2026-27 से दोनों विद्यालयों की निम्न प्रकार से होगी :**

- (1) केन्द्रीय विद्यालय गोरखपुर, जिसे अब केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, उन्नौला दायम, गोरखपुर के रूप में नामित किया गया है, नवनिर्मित स्थायी भवन, उन्नौला दायम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बालवाटिका-I से III तथा कक्षा I से V दो सेक्शनों में संचालित किया जाएगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।
- (2) केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3, अब एच.यू.आर.एल. परिसर, गोरखपुर के अस्थायी भवन (जहाँ अभी केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 कक्षा I से XII तक संचालित है) में संचालित होगा। इस विद्यालय का संचालन बालवाटिका-I से III तथा कक्षा I से X तक (दो -सेक्शन) एवं कक्षा XI एवं XII में विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी प्रत्येक संकाय में दो-दो सेक्शन संचालित किए जाएंगे।

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 उन्नौला दायम, गोरखपुर तथा केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -3, एच.यू.आर.एल. परिसर, गोरखपुर में प्रवेश प्रक्रिया सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।

(दीपेश गहलोट)  
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं.।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि. सं.।
3. वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं.।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. पी.एस.ओ, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं.।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92 (माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार से दिनांक 25.02.2026 को प्राप्त विशेष अनुमोदन की प्रति संलग्न)।
8. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशा./शैक्षिक) के.वि.सं.।
9. निदेशक (के.वि.सं.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/प्रशिक्षण/ कार्मिक), के.वि.सं. (मु.) को सूचनार्थ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) के.वि.सं.(मु.) को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.सं.(मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

जारी..पृष्ठ..3.

13. जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, उनौला दोगम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ ।
14. जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3, एच.यू.आर.एल. परिसर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ ।
15. उपायुक्त, के.वि.सं. (क्षे.का.) वाराणसी को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केन्द्रीय विद्यालय संचालित करें ।
16. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.सं., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
17. उपायुक्त (आई.टी.) को के.वि.सं. की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
18. सहायक आयुक्त (स्था-I/II /III ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
19. सभी अधिकारी/ अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)।
20. अध्यक्ष/सचिव, के.वि.सं. की सभी मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
21. गार्ड फाइल ।

\*\*\*\*\*



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)  
Email: [adl.com.admn@kvs.gov.in](mailto:adl.com.admn@kvs.gov.in), Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No. 32436

F. 11-Adm1029(14)/20/2025-Admn.I/2501-2521

दिनांक: 13.03.2026

### OFFICE ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide Office-Order dated 03.10.2025, conveyed the approval of Government of India, for establishing 57 new Kendriya Vidyalayas under Civil /Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya No. 3, Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) Campus, Gorakhpur, Uttar Pradesh in Parliamentary Constituency-Gorakhpur** is one of the 57 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in October, 2025.

Since the Sponsoring Authority has transferred the land in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and a suitable temporary accommodation has been found suitable for running the school, sanction is hereby accorded for opening the following new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector from the academic session 2026-27:

S. No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional during Academic Year 2026-27 at:
1.	<b>Kendriya Vidyalaya No. 3, Hindustan Urvarak &amp; Rasayan Limited (HURL) Campus, Gorakhpur, Uttar Pradesh.</b>	<b>Kendriya Vidyalaya No. 3, Hindustan Urvarak &amp; Rasayan Limited (HURL) Campus, Old FCIL Inter College Building, Gorakhpur, Uttar Pradesh. Pin Code-273007.</b>

After obtaining special approval/sanction from the Ministry of Education, Government of India, the above Kendriya Vidyalaya shall commence functioning from Balvatika I to III and classes I to X (Two sections) and Classes XI and XII, two sections each in the Science, Commerce and Humanities streams.

Kendriya Vidyalaya No. 2, Gorakhpur, which has been functioning in a temporary building provided by the sponsoring organization in the HURL Campus (formerly known Fertilizer Corporation of India Ltd.), shall henceforth be re-nomenclated as Kendriya Vidyalaya No. 3, HURL Campus, Gorakhpur and all classes presently being run shall continue to function in accordance with the aforesaid approval.

The parents/guardians of students studying in Classes I to V of Kendriya Vidyalaya No. 2, Gorakhpur (to be re-nomenclated as Kendriya Vidyalaya No. 3, HURL Campus, Gorakhpur) who wish to shift their wards from the HURL Campus may be permitted, to transfer their wards to the newly constructed permanent building of Kendriya Vidyalaya No. 2 at Unaula Doyam, Gorakhpur. The remaining students shall be accommodated in Kendriya Vidyalaya No. 3, HURL Campus, Gorakhpur in two sections at the existing campus.

**Accordingly, the status of the two Kendriya Vidyalayas from the academic session 2026–27 shall be as follows:**

1. Kendriya Vidyalaya Gorakhpur, now re-nomenclated as Kendriya Vidyalaya No. 2, Unaula Doyam, Gorakhpur, shall start functioning from its newly constructed permanent building at Unaula Doyam from the academic session 2026–27, with classes from Balvatika I to III and Classes I to V (two sections each) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.
2. Kendriya Vidyalaya No. 3, HURL Campus, Gorakhpur shall function from the temporary building at HURL Campus, Gorakhpur, where Kendriya Vidyalaya No. 2 was earlier functioning from Classes I to XII. This Kendriya Vidyalaya shall start functioning from Balvatika I to III and Classes I to X (two sections each) and classes XI and XII, two sections each in Science, Commerce and Humanities streams.

The admission process in Kendriya Vidyalaya No. 2, Unaula Doyam, Gorakhpur and Kendriya Vidyalaya No. 3, HURL Campus, Gorakhpur shall be carried out for the academic session 2026–27 as per the prescribed admission schedule, after completion of all required formalities

*Deepesh*

**(Deepesh Gehlot)**

**Additional Commissioner (Admn.)**

**Distribution: -**

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, KVS.
2. PS to Hon'ble MoS (Education)-cum -Joint Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to the Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, KVS.
4. PS to Secretary (Education), Department of School Education, Uttar Pradesh.
5. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, KVS.
6. PS to Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92.( A copy of the special approval received from the Hon'ble Education Minister, Government of India on 25.02.2026 is enclosed.)
8. PS to Additional Commissioner (Admn/Acad), KVS.
9. The Director (KVS), MoE, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/Pers), KVS.
11. Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.
12. The Superintending Engineer, KVS Hqrs– for information & necessary action.
13. The District Magistrate & Chairman, VMC Kendriya Vidyalaya No.2, Unaula Doyam, Gorakhpur, Uttar Pradesh for information.
14. The District Magistrate & Chairman, VMC Kendriya Vidyalaya No.3, HURL Campus, Gorakhpur, Uttar Pradesh for information.

15. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Varanasi with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
16. The Deputy Commissioner/Directors, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
17. The Deputy Commissioner (IT), KVS with a request to upload the order on KVS website.
18. The Assistant Commissioner (Estt.I/Estt.II/Estt.III), for information & necessary action.
19. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
20. President/ General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
21. Guard File.

\*\*\*\*\*